



पत्रांक २३५। / ०४ / सात / रि.यो. / २०१४-१५-।।

दूरभाष— २२८६७०९  
फैक्स ०५२२ २२८६७११

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, १० अशोक नार्ग, लखनऊ-२२६००१  
[www.sudaup.org](http://www.sudaup.org), e-mail-sudaupiko@yahoo.com

दिनांक ०१ सितम्बर, २०१५

शीर्ष प्राथमिकता

समस्त परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: “मोटर/बैटरी चालित रिक्षा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश सं० ३५/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२ टीरी दिनांक २४.१.२०१३ के अनुरूप यथा निर्देशित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, दूड़ा की अध्यक्षता में प्रस्तावित समिति के गठन किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश रांख्या ३५/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२ टीरी दिनांक २४.१.२०१३ का संदर्भ ग्रहण करें। इंगित शासनादेश के बिन्दु रांख्या ९ में यह निर्देशित था कि:- “जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, दूड़ा के दिशा-निर्देश में गठित समिति के माध्यम से चयनित पात्र रिक्षा चालकों को उनका पुराना निजी पारम्परिक मानव चालित रिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त ही मोटर/बैटरी चालित रिक्षा वितरित कराया जाएगा।”

अभिकरण द्वारा शासन को उक्त समिति के स्वरूप एवं नामित होने वाले सदरयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में शारान द्वारा शासनादेश रांख्या ७८९/२०१५/१७५२/६९-१-२०१५-१४(३१)/२०१२ टीरी दिनांक २१.८.२०१५ के माध्यम से निम्नवत् समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

- |  |              |
|--|--------------|
| १. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, दूड़ा   | — अध्यक्ष    |
| २. नगर आयुक्त(नगर निगम वाले जनपदों में)/<br>परियोजना निदेशक, दूड़ा (अन्य जनपदों में)                               | — सदस्य सचिव |
| ३. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार   | — सदस्य      |
| ४. सम्भागीय परिवहन अधिकारी(मण्डलीय जिला मुख्यालय स्तर पर)/<br>सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(जनपद मुख्यालय स्तर पर) | — सदस्य      |
| ५. राजकीय पालीटेक्निक अथवा राजकीय आई०आई० के<br>आटोमोबाइल/मैकेनिकल शाखा के प्रवक्ता (१००)                           | — सदस्य      |
| ६. परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, दूड़ा  | — सदस्य      |

शारान द्वारा पूर्वकृत शासनादेश समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० को पृष्ठांकित कर प्रेषित किया गया है। यह शासनादेश सूड़ा की वेब-साइट पर भी प्रदर्शित है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि इंगित शासनादेश के अनुरूप जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथा निर्देशित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।



(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि

1. राजिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शारान को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समरत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, छूडा, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इंगित शासनादेश के अनुरार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।



(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक